पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–16] रुड़की, शनिवार, दिनांक 30 मई, 2015 ई0 (ज्येष्ठ 09, 1937 शक सम्वत्) [संख्या–22

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	351–356	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	303–311	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़–पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	177–184	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़–पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

परिवहन अनुभाग–1

अधिसूचना

27 अप्रैल, 2015 ई0

संख्या 316/ix-1/25/2015–भारत सरकार के पत्र संख्या–RT-25035/51/2013-RS, दिनांक 01–11–2013 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या–295/2012 में दिनांक 22–04–2014 को पारित आदेशों के अनुपालन में सड़क सुरक्षा सम्बन्धी नियमों का कड़ाई से अनुपालन किये जाने हेतु राज्य सड़क सुरक्षा एवं दुर्घटना के न्यूनीकरण के अनुश्रवण हेतु मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में राज्य सड़क सुरक्षा एवं अनुश्रवण समिति के गठन की महामहिम श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति देते हैं:–

1.	मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन	अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
3.	प्रमुख सचिव/सचिव, गृह विभाग	सदस्य
4.	प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा विभाग	सदस्य
5.	प्रमुख सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग	सदस्य
6.	प्रमुख सचिव/सचिव, वन विभाग	सदस्य
7.	प्रमुख सचिव/सचिव, आबकारी विभाग	सदस्य
8.	प्रमुख सचिव/सचिव, शहरी विकास विभाग	सदस्य
9.	पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड	सदस्य
10.	परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड	सदस्य
11.	मुख्य अभियन्ता, स्तर–1, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
12.	सीमा सड़क संगठन के अधिकारी	सदस्य
13.	प्रमुख सचिव/सचिव, परिवहन विभाग	सदस्य सचिव,

2. यह समिति राज्य स्तर पर लीड एजेन्सी के रूप में कार्य करते हुये सड़क सुरक्षा एवं मार्ग दुर्घटनाओं को रोकने हेतु नीतियों का निर्माण एवं उनके अनुपालन का अनुश्रवण करेगी। समिति की वर्ष में कम से 02 बैठकें होंगी तथा समिति अपनी बैठकों में अपनाये जाने वाली प्रक्रिया स्वयं निर्धारित करेगी।

आज्ञा से,

एन0 रवि शंकर,
मुख्य सचिव।

कार्मिक अनुभाग–1

विज्ञप्ति/नियुक्ति

27 अप्रैल, 2015 ई0

संख्या 832/तीस–1–15–26(5)/2013–उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा आयोजित उत्तराखण्ड उच्चतर न्यायिक सेवा परीक्षा–2014 के माध्यम से चयनित अभ्यर्थी श्री संजय वीर सिंह को उत्तराखण्ड उच्चतर न्यायिक सेवा में नियुक्ति प्रदान किये जाने की संस्तुति महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड द्वारा अपने पत्र संख्या 1172/XIIIb/Admin.A/2014, दिनांक 12–03–2015 के द्वारा की गयी है:–

2. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड की संस्तुति के क्रम में श्री संजय वीर सिंह को वेतनमान ₹ 16,750–400–19,150–450–20,500 पुनरीक्षित वेतनमान ₹ 51,550–1230–58930–1380–63070 ग्रेड पे ₹ 8900 में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3. श्री संजय वीर सिंह को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिये श्री राज्यपाल महोदय परिवीक्षा पर रखते हैं।

4. श्री संजय वीर सिंह के तैनाती आदेश मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पृथक से निर्गत किया जायेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव।

आबकारी अनुभाग

कार्यालय ज्ञाप

24 अक्टूबर, 2013 ई0

संख्या 694/XXIII/2013/01(05)2013–तात्कालिक प्रभाव से श्री डी0वी0 सिंह, संयुक्त आबकारी आयुक्त को विभागीय चयन समिति की संस्तुति के आधार पर अपर आबकारी आयुक्त के रिक्त पद (वेतनमान ₹ 37400–67000 ग्रेड वेतन ₹ 8700) पर नियमित रूप से पदोन्नति किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. श्री डी0वी0 सिंह अपर आबकारी आयुक्त के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 01 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रहेंगे।

3. श्री सिंह को निर्देशित किया जाता है कि वे आबकारी आयुक्त कार्यालय में रिक्त अपर आबकारी आयुक्त के पद पर कार्यभार ग्रहण कर शासन को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

डॉ0 एस0एस0 सन्धु,
प्रमुख सचिव।

सिंचाई अनुभाग–1

विज्ञप्ति/प्रोन्नति

19 दिसम्बर, 2014 ई0

संख्या 3498/II-2014-01(139)/2003–श्री चैतराम डबराल, जिलेदार को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उप राजस्व अधिकारी के पद पर नियमित चयनोपरान्त वेतनमान ₹ 15600–39100 ग्रेड पे ₹ 5400 में पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उप राजस्व अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त पदोन्नत कार्मिक को एक वर्ष के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

विज्ञप्ति/प्रोन्नति

28 जनवरी, 2015 ई0

संख्या 3128/II-2014-01(29)(18)-2011/2013–सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत डिप्लोमाधारी कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) से सहायक अभियन्ता (सिविल) के पदों पर चयन वर्ष 2014–15 की रिक्तियों के सापेक्ष नियमित चयन द्वारा प्रोन्नति के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या 282/25/ई–1डी0पी0सी0(ए0ई0)/2014–15, दिनांक 30–10–2014 द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में निम्नलिखित डिप्लोमाधारी कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को सहायक अभियन्ता (सिविल) वेतनमान ₹ 15600–39100 एवं सदृश्य ग्रेड पे ₹ 5400 के पद पर निम्नवत् पद रिक्त होने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

डिप्लोमाधारी संवर्ग:

क्र0सं0	नाम	अभ्युक्ति
1.	श्री प्रमोद कुमार पाठक	श्री केवलानन्द तिवारी, सहायक अभियन्ता (सिविल, के दिनांक 31–01–2015 को सेवानिवृत्ति से उत्पन्न रिक्ति के सापेक्ष
2.	श्री मो0 इरफान	श्री आनन्द प्रकाश शर्मा, सहायक अभियन्ता (सिविल, के दिनांक 31–01–2015 को सेवानिवृत्ति से उत्पन्न रिक्ति के सापेक्ष

2. पदोन्नत कार्मिकों को वर्तमान तैनाती स्थल पर ही कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा तथा इनकी पदस्थापना के आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।

3. उक्त पदोन्नत कार्मिकों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

4. उक्त पदोन्नत कार्मिकों को नियमानुसार प्रथम बार ही शिथिलीकरण का लाभ अनुमन्य किया गया है।

उक्त आदेश मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 1782/एस0एस0/2012 श्री अवनीश भटनागर व अन्य बनाम राज्य में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेंगे।

आज्ञा से,

एम0 एच0 खान,
प्रमुख सचिव।

समाज कल्याण अनुभाग–2

पदोन्नति/विज्ञप्ति

09 अप्रैल, 2015 ई0

संख्या 304/XVII-2/2015-16(म0क0)/2014–श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार की विभागीय प्रोन्नति समिति की संस्तुति दिनांक 29 जनवरी, 2015 को स्वीकार करते हुए श्रीमती अंजना गुप्ता अधीक्षिका को जिला प्रोवेशन अधिकारी (वेतनमान ₹ 9,300–34,800 ग्रेड वेतन ₹ 4,200) के पद पर नियमित पदोन्नत करते हुए जनपद नैनीताल में तैनाती की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. श्रीमती अंजना गुप्ता को जिला प्रोवेशन अधिकारी के पद पर नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रखा जाता है।

3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

पदोन्नति/विज्ञप्ति

10 अप्रैल, 2015 ई0

संख्या 586/XVII-2/2015-01(04)/2010–विभागीय प्रोन्नति समिति की संस्तुति दिनांक 09–03–2015 को स्वीकार करते हुए समाज कल्याण (महिला कल्याण) विभाग के अन्तर्गत कार्यरत उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी श्री सैयद राहत अली को मुख्य परिवीक्षा अधिकारी (वेतनमान ₹ 15,600–39,100 ग्रेड वेतन ₹ 6,600) के पद पर नियमित रूप से पदोन्नत करते हुए महिला कल्याण मुख्यालय (निदेशालय, समाज कल्याण) में तैनाती की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

आज्ञा से,

पी0एस0 जंगपांगी,
सचिव।

वित्त अनुभाग–8

अधिसूचना

15 अप्रैल, 2015 ई0

संख्या 286/2015/07(100)/XXVII(8)/08–मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल की संस्तुति के क्रम में उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 की धारा–54 की उपधारा (2)(क) एवं उपधारा (4)(क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके श्री कृष्ण दत्त भट्ट, प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उत्तराखण्ड को श्री राम दत्त पालीवाल के स्थान पर अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून के पद पर तैनात करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

भास्करानन्द,
सचिव।

आवास अनुभाग–1

अधिसूचना

21 अप्रैल, 2015 ई0

संख्या 234/V-2015-30(आ0)/10–श्री राज्यपाल महोदय साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 6 सपठित उपर्युक्त अधिनियम की धारा 4 के परन्तुक के उपबन्धों के अनुसरण में उपर्युक्त अधिनियम सन् 1976 की धारा–2 के खण्ड (घ) के अधीन अधिसूचना संख्या 148/V-30/आ0/2010 दि0 09 जून, 2014 द्वारा देहरादून नगर बस्ती के सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों के निष्पादन करने हेतु प्राधिकृत श्रीमती सोनिका, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) के स्थान पर सुश्री झरना कमठान, अपर जिलाधिकारी (प्रशा0) को सन् 1976 के उपर्युक्त अधिनियम की धारा–11 के प्रयोजन के लिए सम्पूर्ण देहरादून, नगर बस्ती के सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण किये जाने के दिनांक से प्राधिकृत करते हैं।

आज्ञा से,

डी0 एस0 गर्ब्याल,
सचिव।

समाज कल्याण अनुभाग–2

अधिसूचना

23 अप्रैल, 2015 ई0

संख्या 621/XVII-2/2015-15(OBC)/2014–श्री राज्यपाल महोदय उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994} अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001 की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, उपर्युक्त अधिनियम की अनुसूची–एक में निम्नलिखित संशोधन करते हुये इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से संशोधित समझे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

संशोधन

उपर्युक्त अधिनियम की अनुसूची 80 पर दी गई प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रख दी जायेंगी, अर्थात:–

"80 "कुथलिया बोरा" (जनपद पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर तथा ग्राम कल्याणपुर तहसील सितारगंज जनपद ऊधमसिंह नगर)।"

आज्ञा से,

पी0एस0 जंगपांगी,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the notification **No. 621/XVII-2/2015-15(OBC)/2014,** dated April 23, 2015 for general information.

NOTIFICATION

April 23, 2015

No. 621/XVII-2/2015-15(OBC)/2014--In exercise of the powers conferred by section 13 of the Uttarakhand {Uttar Pradesh Public Service (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994} Adaptation and Modification Order, 2001, the Governor is pleased to accord sanction to amend Schedule-1 of the said Act shall be deemed amended from the date of publication of this notification as follows:--

AMENDMENT

The following entries shall be substituted for the entries given in Schedule 80 of the said Act; namely:--

"80 "Kuthaliya Bora" (District Pithoragrah, Almora, Bageshwar and Village Kalyanpur of Tehsil Sitarganj District Udham Singh Nagar)."

By Order,

P. S. JANGPANGI,
Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 22 हिन्दी गजट/263–भाग 1–2015 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 30 मई, 2015 ई0 (ज्येष्ठ 09, 1937 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

January 23, 2015

No. 09/UHC/Admin.A/2015--In exercise of powers conferred under section 13 of Code of Criminal Procedure, 1973 read with Uttar Pradesh Petty Offences (Trial by Special Judicial Magistrates) Rules, 1997 (as applicable to Uttarakhand) and pursuant to G.O. no. 1940/XXX-1-15-26(1)/2003 dated 19-01-2015, issued by Department of Personnel Section-1, Government of Uttarakhand, Sri Satan Lal Rajvanshi, a retired H.J.S. officer, is appointed as Special Judicial Magistrate at Rishikesh, District Dehradun to try the cases under section 138 of Negotiable Instruments Act, 1881 from the date of taking over charge till continuance of the post *i.e.* 28-02-2015, on the pay drawn by him at the time of retirement, less the amount of pension drawn by him before commutation.

NOTIFICATION

January 23, 2015

No. 10/UHC/Admin.A/2015--In exercise of powers conferred under section 13 of Code of Criminal Procedure, 1973 read with Uttar Pradesh Petty Offences (Trial by Special Judicial Magistrates) Rules, 1997 (as applicable to Uttarakhand) and pursuant to G.O. no. 1940/XXX-1-15-26(1)/2003 dated 19-01-2015, issued by Department of Personnel Section-1, Government of Uttarakhand, Sri Pritam Singh, a retired H.J.S. officer, is appointed as Special Judicial Magistrate at Roorkee, District Hardwar to try the cases under section 138 of Negotiable Instruments Act, 1881 from the date of taking over charge till continuance of the post *i.e.* 28-02-2015, on the pay drawn by him at the time of retirement, less the amount of pension drawn by him before commutation.

NOTIFICATION

January 23, 2015

No. 11/UHC/Admin.A/2015--In exercise of powers conferred under section 13 of Code of Criminal Procedure, 1973 read with Uttar Pradesh Petty Offences (Trial by Special Judicial Magistrates) Rules, 1997 (as applicable to Uttarakhand) and pursuant to G.O. no. 1940/XXX-1-15-26(1)/2003 dated 19-01-2015, issued by Department of Personnel Section-1, Government of Uttarakhand, Sri Keshav Prasad Tripathi, a retired H.J.S. officer, is appointed as Special Judicial Magistrate at Hardwar to try the cases under section 138 of Negotiable Instruments Act, 1881 from the date of taking over charge till continuance of the post *i.e.* 28-02-2015, on the pay drawn by him at the time of retirement, less the amount of pension drawn by him before commutation.

By Order of the Court,

Sd/-
D. P. GAIROLA,
Registrar General.

NOTIFICATION

January 27, 2015

No. 12/UHC/XIV/56/Admin.A/2012--Ms. Seema Dungarakoti, Judicial Magistrate, Udham Singh Nagar is hereby sanctioned earned leave for 13 days *w.e.f.* 05-01-2015 to 17-01-2015 with permission to prefix 04-01-2015 as Sunday and to suffix 18-01-2015 as Sunday holiday.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-
Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

January 28, 2015

No. 13/UHC/XIV/14/Admin.A/2009--Sri Jayendra Singh, Judicial Magistrate-I, Dehradun is hereby sanctioned medical leave for 07 days *w.e.f.* 13-01-2015 to 19-01-2015.

NOTIFICATION

January 28, 2015

No. 14/UHC/XIV/71/Admin.A/2003--Ms. Neena Aggarwal, 5th Additional District & Sessions Judge, Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 16 days *w.e.f.* 02-01-2015 to 17-01-2015 with permission to prefix 25-12-2014 to 01-01-2015 as Christmas & Winter holiday & New Year Day and to suffix 18-01-2015 as Sunday holiday.

By Order of Hon'ble the Vacation Judge,

Sd/-
Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

March 17, 2015

No. 31/UHC/XIV/81/Admin.A/2003--Ms. Anjushree Juyal, 3rd Additional District & Sessions Judge Hardwar, District Hardwar is hereby sanctioned medical leave for 36 days *w.e.f.* 02-01-2015 to 06-02-2015.

NOTIFICATION

March 17, 2015

No. 32 UHC/XIV/a-41/Admin.A/2008--Ms. Kahkasha Khan, Additional District Judge, Ranikhet, District Almora is hereby sanctioned earned leave for 17 days *w.e.f.* 16-02-2015 to 04-03-2015 with permission to prefix 14-02-2015 & 15-02-2015 as 2nd Saturday and Sunday holidays and to suffix 05-03-2015 to 08-03-2015 as Holi and Sunday holidays, for the purpose of L.T.C.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,
Sd/-
Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

March 17, 2015

No. 33 UHC/XIV/8/Admin.A/2008--Ms. Reena Negi, Civil Judge (Sr. Div.), Almora is hereby sanctioned earned leave for 10 days *w.e.f.* 23-02-2015 to 04-03-2015 with permission to prefix 22-02-2015 as Sunday & suffix 05-03-2015 to 08-03-2015 as Holi holidays and Sunday holiday respectively.

By Order of Hon'ble the Vacation Judge,
Sd/-
Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

March 17, 2015

No. 34 UHC/XIV/73/Admin.A/2003--Sri Kanwar Amninder Singh, Registrar (Management), High Court of Uttarakhand, Nainital is hereby sanctioned earned leave for 12 days *w.e.f.* 05-03-2015 to 16-03-2015.

By Order of Hon'ble the Chief Justice,
Sd/-
Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

April 16, 2015

No. 125/UHC/XIV/54/Admin.A/2012--Sri Ashok Kumar, Civil Judge (Jr. Div.), Almora is hereby sanctioned earned leave for 13 days *w.e.f.* 23-03-2015 to 04-04-2015 with permission to prefix 22-03-2015 as Sunday and suffix 05-04-2015 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

April 24, 2015

No. 129 UHC/XIV/34/Admin.A--Sri Kawer Sain, District Judge, Pauri Garhwal is hereby sanctioned earned leave for 12 days *w.e.f.* 30-03-2015 to 10-04-2015 with permission to prefix 27-03-2015 & 28-03-2015 & 29-03-2015 as local holiday, Ramnavami & Sunday holidays respectively and to suffix 11-04-2015 & 12-04-2015 as 2nd Saturday & Sunday, 13-04-2015 as local holiday & 14-04-2015 as Ambedkar Jayanti holiday.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,
Sd/-
Registrar (Inspection).

FOR GRANT OF EARNED LEAVE OF HON'BLE VICE CHAIRMAN (J)/ HON'BLE VICE CHAIRMAN (A)/ HON'BLE MEMBER

December 30, 2014

No. 473(27)4KPST/Admin/IV/2014--In exercise of the power conferred upon by the Rule 6 of the U.P. Public Services Tribunal Act (Salaries, Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice Chairmen & Members) Rules, 1991, made under Public Services Tribunal Act, 1976 applicable to State of Uttarakhand, the Chairman has sanctioned the leave of Hon'ble Sri D.K. Kotia, Vice Chairman (A) on 31-12-2014 to ..... as earned leave.

By Order of the Chairman,
Registrar.

FOR GRANT OF EARNED LEAVE OF HON'BLE VICE CHAIRMAN (J)/ HON'BLE VICE CHAIRMAN (A)/ HON'BLE MEMBER

February 18, 2015

No. 75/P.S.T./Admin/IV--In exercise of the power conferred upon by the Rule 6 of the U.P. Public Services Tribunal Act (Salaries, Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice Chairmen & Members) Rules, 1991, made under Public Services Tribunal Act, 1976 applicable to State of Uttarakhand, the Chairman has sanctioned the leave of Hon'ble Sri V.K. Maheshwari, Vice Chairman (J) from 10-03-2015 t0 15-04-2015 as earned leave.

By Order of the Chairman
Joint Registrar.

CHARGE CERTIFICATE

February 18, 2015

No. 77/P.S.T./Admin. IV/2015/D.Dun--Certified that after availing of the Earned Leave for 15 days w.e.f. 02-02-2015 to 16-02-2015, (prefixing 01-02-2015 as Sunday holiday and suffixing 17-02-2015 as Mahashivratri holiday), sanctioned by the Hon'ble Chairman. Uttarakhand Public Services Tribunal, Dehradun, the charge of Registrar, Uttarakhand Public Services Tribunal, Dehradun, has been taken over, as denoted hereunder in the forenoon of 18-02-2015.

DHARAM SINGH,
Registrar,
Uttarakhand Public Services Tribunal,
Dehradun.

Counter Signature,
Sd/- (Illegible)

Chairman,
Uttarakhand Public Services Tribunal,
Dehradun.

CHARGE CERTIFICATE

(Taking over on transfer)

April 16, 2015

No. 1828/Admn. (A)-UHC/2015--CERTIFIED that the Office of the Registrar, High Court of Uttarakhand, Nainital, was transferred *vide* High Court of Uttarakhand Notification No. 55/UHC/Admin-A/2015 dated 3rd April, 2015 as herein denoted in the forenoon of 16th April, 2015.

SHANKER RAJ,
Relieving Officer.

Countersigned,

D.P. GAIROLA,
Registrar General,
High Court of Uttarakhand,
Nainital.

CHARGE CERTIFICATE

(Taking over on transfer)

April 16, 2015

No. 1827/Admn. (A)-UHC/2015--CERTIFIED that the Office of the Registrar, High Court of Uttarakhand, Nainital, was transferred *vide* High Court of Uttarakhand Notification No. 53/UHC/Admin-A/2015 dated 3rd April, 2015 as herein denoted in the forenoon of 16th April, 2015.

RAJEEV KUMAR KHULBE,
Relieving Officer.

Countersigned,

D.P. GAIROLA,
Registrar General,
High Court of Uttarakhand,
Nainital.

CHARGE CERTIFICATE

(On earned leave taking over)

March 17, 2015

No. 1297/Admn. (A)-UHC/2015--CERTIFIED that the Office of the Registrar (Management), High Court of Uttarakhand, Nainital, was transferred *vide* High Court of Uttarakhand order dated 4th March, 2015 as herein denoted in the forenoon of 17th March, 2015.

KANWAR AMNINDER SINGH,
Relieving Officer.

Countersigned,

D.P. GAIROLA,
Registrar General,
High Court of Uttarakhand,
Nainital.

CHARGE CERTIFICATE

April 16, 2015

No. 150/PST/Admn. IV/2015/D.Dun--Certified that the office of the Vice Chairman (Judl.), Uttarakhand Public Services Tribunal, Dehradun is hereby transferred under the orders of Hon'ble Chairman, Uttarakhand Public Services Tribunal, Dehradun today on 16-04-2015 in the forenoon.

(Relieved Officer)

V. K. MAHESHWARI,
Relieving Officer.

Counter Signature
Sd/- (Illegible)

Chairman,
Public Services Tribunal,
Uttarakhand, Dehradun.

CHARGE CERTIFICATE

April 17, 2015

No. 153/PST/Admn. IV/2015/D.Dun--Certified that in compliance of the Notification No. 94/UHC/Admin. A/2015, Dated April 03, 2015, *vide* Uttarakhand Government Nyay Anubhag-I Notification No. 101/XXXVI(1)/2015-18/2000 T.C.-I, Dehradun, Dated April 08, 2015 and in compliance of the Hon'ble High Court of Uttarakhand letter No. 1696/UHC/XVII-113/Admin. A/2004 Dated, April 08, 2015, the charge of the office of the Joint Registrar (Judicial & Administration), Uttarakhand Public Services Tribunal, Dehradun has been taken over, as denoted herein, in the forenoon of 17-04-2015.

HEMANT SINGH,
Relieving Officer.

Countersigned
Sd/- (Illegible)

Chairman,
Uttarakhand Public Services Tribunal,
Dehradun.

कार्यालय सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी सम्भाग, नैनीताल

आदेश

22 दिसम्बर, 2014 ई0

पत्रांक 2003/लाइसेंस/नि0–निरस्ती0/2014–अनुज्ञप्ति संख्या यूके0420130107905 के अनुज्ञप्ति धारक श्री बालम सिंह पुत्र श्री पूरन सिंह निवासी–ग्राम–कोराड़, तहसील–बेतालघाट, जिला–नैनीताल ने अपने उक्त अनुज्ञप्ति में जन्मतिथि संशोधन करने हेतु आवेदन किया। अनुज्ञप्ति संख्या यूके0420130107905 के कार्यालय अभिलेखों का संज्ञान लेने पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि अनुज्ञप्ति धारक श्री बालम सिंह के चालन अनुज्ञप्ति में जन्मतिथि 05–07–1994 अंकित है जबकि बालम सिंह ने अपने प्रार्थना–पत्र में उल्लेख किया है कि उनकी वास्तविक जन्मतिथि 05–07–1995 है। श्री बालम सिंह ने उक्त अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु अनुज्ञप्ति धारण करते समय जन्मतिथि के प्रमाण–पत्र के तौर पर छात्र पत्रावली तथा स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र संख्या–548 संलग्न किया, जिसमें जन्मतिथि 05–07–1994 अंकित है। श्री बालम सिंह ने अपने प्रार्थना–पत्र जोकि जन्मतिथि संशोधन हेतु प्रस्तुत किया है उसमें जन्मतिथि प्रमाण के तौर पर हाईस्कूल अंकतालिका संख्या–152185 संलग्न किया है, जिसमें जन्मतिथि 05–07–1995 अंकित है। उक्त के क्रम में श्री बालम सिंह अनुज्ञप्ति धारक अनुज्ञप्ति संख्या–यूके0420130107905 को इस कार्यालय के पत्र संख्या–1886/लाइसेंस/2014, दिनांक 04–12–2014 के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु पत्र प्रेषित किया। जिसके क्रम में श्री बालम सिंह दिनांक 22–12–2014 को इस कार्यालय में उपस्थित हुए और उन्होंने अपनी जन्मतिथि के सम्बन्ध में त्रुटि स्वीकार करते हुए निवेदन किया कि उनको प्रदत्त अनुज्ञप्ति संख्या यूके0420130107905 को निरस्त कर दिया जावे। जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी उनके स्वयं की होगी।

अतः, अनुज्ञप्ति धारक अनुज्ञप्ति संख्या–यूके0420130107905 के अनुरोध पर, मैं, संदीप वर्मा, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), हल्द्वानी मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–16 के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति संख्या–यूके0420130107905 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

संदीप वर्मा,
सहायक सम्भागीय, परिवहन अधिकारी,
(प्रशासन), हल्द्वानी।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर

कार्यालय आदेश

22 अप्रैल, 2015 ई0

पत्रांक 2007/टी0आर0/पंजी0नि0/यूपी16–1522/2015–वाहन संख्या यूपी16–1522 मॉडल 1998, चेसिस संख्या T58001689A98 तथा इंजन नं0 D02002125 कार्यालय में श्री अर्जुन सिंह पुत्र श्री सन्ता सिंह, निवासी ग्राम रतनपुरी, गदरपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने दिनांक 18–12–2014 को आवेदन–पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग पर संचालन योग्य न रहने के कारण वाहन को स्क्रेब में विक्रय करना चाहता है साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31–05–2015 तक जमा है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण हल्द्वानी द्वारा समर्पण/निरस्त/जारी करने हेतु उनके कार्यालय की आख्या अंकित है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा–55 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या यूपी16–1522 का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या T58001689A98 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

नन्द किशोर,
सहायक सम्भागीय, परिवहन अधिकारी,
रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर।

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड

(फार्म–अनुभाग)

विज्ञप्ति

09 अप्रैल, 2015 ई0

पत्रांक 136/आयु0क0उत्तरा0/फार्म–अनु0/2015–16/केन्द्रीय फार्म–सी/खोया/चोरी/नष्ट हुए/दे0दून–केन्द्रीय बिक्रीकर (उत्तराखण्ड) नियमावली–2006 के नियम–8(13) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, मैं, आयुक्त कर, उत्तराखण्ड निम्नलिखित सूची में उल्लिखित "फार्म–सी/एफ" जिनके खो जाने/चोरी हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हुई है, को सार्वजनिक प्रकाशनार्थ अनुमति प्रदान करते हुए इन फार्म्स के प्रयोग को अवैध घोषित करता हूँः–

क्र0 स0	व्यापारी का नाम, पता व टिन नं0	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों की संख्या	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों की सीरीज/कमांक	फार्म को अवैध घोषित किये जाने का कारण
1.	सर्वश्री सिंघल ग्रेनाइट हाउस 2, दीप कालोनी, चकराता देहरादून। टिन नं0–05000991462	(Form-C)--02	U.K.VAT-C-2007 1422311, 1422332	खोने के कारण
2.	सर्वश्री एयरटेक, खसरा नं0 323, सैन्ट्रल हॉपटाउन, सेलाकुई, देहरादून। टिन नं0–05006520365	(Form-C)--01	U.K.VAT/C-2009 0000937	खोने के कारण
3.	सर्वश्री सैम इण्डिया विल्टवैल प्रा0लि0,5ए वेस्ट रेस्टकैम्प, त्यागी रोड़, देहरादून। टिन नं0–05009365472	(Form-C)--01	U.K.VAT/C-2007 1463893	खोने के कारण
4.	सर्वश्री अमोल फिलिंग स्टेशन, गाँव मण्डावर देहरादून रोड़, रूड़की। टिन नं0–05004218070	(Form-C)--02	U.K.VAT/C-2007- 1266905 U.K.VAT/C-2009- 0236660	खोने के कारण
5.	सर्वश्री महिन्द्रा एण्ड महिन्द्र लि0, किच्छा। टिन नं0–05004487439	(Form-C)--04	U.K.VAT/C-2007 593917 to 593920	खोने के कारण
6.	सर्वश्री निर्मल पाईप्स, रूद्रपुर। टिन नं0–05004658741	(Form-F)--01	U.K.VAT/C-2007 125018	खोने के कारण
7.	सर्वश्री निर्मल पाईप्स, रूद्रपुर। टिन नं0–05004658741	(Form-C)--01	U.K.VAT/C-2007 869026	खोने के कारण
8.	सर्वश्री उत्तम जीत ऑटो स्पेयर, बी0ए0सी0–23, टी0पी0 नगर, हल्द्वानी। टिन नं0–05008960303	(Form-C)--02	U.K.VAT/C-2007 1024259, 1024260	खोने के कारण

पीयूष कुमार,
एडिशनल कमिश्नर वाणिज्यकर,
अति0 प्रभार–आयुक्त कर, उत्तराखण्ड।

NOTIFICATION

April 09, 2015

No. 136/Com.Tax/Form/Lost/Stolen/Destroyed/2015-16/D.Dun--Whereas, information have been received regarding Lost/Stolen/Destroyed "**Form-C/F**" enlisted below:--

I, Commissioner Tax, Uttarakhand in exercise of the powers conferred by Rule 8(13) of Central Sales Tax (Uttarakhand) Rules 2006, hereby declare that "**Form-C/F**" bearing serial no. as listed below, should be considered as invalid for all purposes:--

Sl. No.	Name, Address and Tin No. of Dealers	No. of Lost/ Stolen/ Destroyed Forms	Sl.No. of Lost/Stolen or Destroyed Forms	Reasons for declaring the forms obsolete or invalid
1.	M/s Singhal Grenite House 2, Deep Colony, Chakarata, D.Dun. Tin No-05000991462	(Form-C)--02	U.K.VAT-C-2007 1422311, 1422332	Lost
2.	M/s Air Tech, central hope town selakui. Tin N0-05006520365	(Form-C)--01	U.K.VAT/C-2009 0000937	Lost
3.	M/s Sam (India) Builtwoll Pvt. Ltd, west rest-camp, Tyagi road, D.dun. Tin No-05009365472	(Form-C)--01	U.K.VAT/C-2007 1463893	Lost
4.	M/s Amol filling station, village mandawer, dehrarun road, roorkee. Tin No-05004218070	(Form-C)--02	U.K.VAT/C-2007- 1266905 U.K.VAT/C-2009- 0236660	Lost
5.	M/s Mahindra & Mahindra Ltd. Kichha. Tin No-05004487439	(Form-C)--04	U.K.VAT/C-2007 593917 to 593920	Lost
6.	M/s Nirmal Pipes , Rudrapur. Tin No-05004658741	(Form-F)--01	U.K.VAT/C-2007 125018	Lost
7.	M/s Nirmal Pipes , Rudrapur. Tin No-05004658741	(Form-C)--01	U.K.VAT/C-2007 869026	Lost
8.	M/s Uttam Jeet Auto Spare, B.A.C-23, Transport Nagar, Haldwani. Tin No-05008960303	(Form-C)--02	U.K.VAT/C-2007 1024259, 1024260	Lost

PIYUSH KUMAR,

Addl. Commissioner, Commercial Tax,
Addl. Charge- Commissioner Tax, Uttarakhand.

कार्यालय पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, देहरादून

प्रभार प्रमाण–पत्र

18 अप्रैल, 2015 ई0

पृष्ठांकन संख्या 94(vii)/श्र0न्या0देहरादून/2015–प्रमाणित किया जाता है कि उत्तराखण्ड शासन (श्रम एवं सेवायोजन विभाग) की अधिसूचना संख्या 409/VIII/15-70(श्रम)/2001, दिनांकित 31 मार्च, 2015 एवं माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा निर्गत आदेश संख्या 1810/XIII-F-1/Admin.A/2010 दिनांकित अप्रैल 15, 2015 के अनुपालन में पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, देहरादून का पदभार, जैसा कि यहाँ व्यक्त किया गया है, आज दिनांक अप्रैल 18, 2015 के पूर्वान्ह में ग्रहण कर लिया गया है।

मोचक अधिकारी,
सी0 पी0 बिजलवान,
पीठासीन अधिकारी,
श्रम न्यायालय, देहरादून।

प्रतिहस्ताक्षरित,
ह0 (अस्पष्ट)
सचिव, श्रम,
उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 22 हिन्दी गजट/263–भाग 1–क–2015 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 30 मई, 2015 ई0 (ज्येष्ठ 09, 1937 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

कार्यालय नगर पालिका परिषद्, अल्मोड़ा

भवन क्रय, विक्रय उपनियमावली

30 अक्टूबर, 2014 ई0

पत्र संख्या 1053/30–1 उपनियमावली/2014–2015–नगर पालिका परिषद्, अल्मोड़ा, द्वारा शासन द्वारा अंगीकृत उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298(1) के द्वारा प्रचलित नगर पालिका परिषद्, अल्मोड़ा की मासिक अधिवेशन दिनांक 24–07–2014 के प्रस्ताव सं0 08 द्वारा भवन क्रय–विक्रय उपनियमावली बनाने का निर्णय लिया गया है। नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 300(1) के अन्तर्गत आपत्ति एवं सुझाव हेतु समाचार–पत्र में प्रकाशित किया गया था जिस पर समायान्तर्गत कोई आपत्ति व सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं। उपरोक्त उपनियमावली सरकारी गजट में प्रकाशित होनें की तिथि से प्रभावी होगी।

उपनियमावली

1– संक्षिप्त नाम – यह उपनियमावली नगर पालिका परिषद अल्मोड़ा भवन कय– विकय उपनियमावली 2014 कहलायेगी।

2– विस्तार/प्रसार– इस नियमावली का विस्तार नगर पालिका परिषद अल्मोड़ा के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में होगा।

3– प्रभावी होना– यह उपनियमावली गजट मे प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावी होगी।

परिभाषाएं

1– नगर पालिका परिषद का तात्पर्य नगर पालिका परिषद अल्मोड़ा से है।

2– अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य नगर पालिका परिषद अल्मोड़ा के अधिशासी अधिकारी से है।

3– अध्यक्ष/प्रशासक/प्रभारी अधिकारी का तात्पर्य अध्यक्ष/प्रशासक/प्रभारी अधिकारी नगर पालिका परिषद अल्मोड़ा से है।

4– यह उपनियमावली नगर पालिका परिषद अल्मोड़ा कहलायेगी और नगर पालिका अधिनियम 1916 अधिनियम सं0 2 उत्तराखण्ड अनुकूलन एवं उपान्तरण अध्यादेश 2002 से है।

5– नगर पालिका के सीमान्तर्गत यदि कोई व्यक्ति भवन का क्रय– विक्रय करता है तो उपरोक्त भवन का मानचित्र प्रमाणित करने के लिए आवेदक को रू0 2.00 कोर्ट फीस टीकट लगाकर आवेदन पत्र अधिशासी अधिकारी के नाम प्रस्तुत करना होगा।

6– उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर कर अनुभाग व निर्माण विभाग की आख्या के उपरान्त वार्षिक भवन मूल्यांकन का 50 प्रतिशत शुल्क जमा करना होगा, उसके उपरान्त भवन मानचित्र को अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जायेगा। आवेदक को रसीद एम0ए0सी05 शुल्क जमा कर प्राप्त करना होगा।

7– यदि कोई व्यक्ति भवन क्रय–विक्रय करता है तो उपरोक्त भवन का मूल्यांकन(वार्षिक)निर्धारित नहीं किया गया है तो नगर पालिका परिषद अल्मोड़ा द्वारा वार्षिक मूल्यांकन रू0 4.00(चार रू0प्रतिवर्ग फीट) आवासीय व रू0 10.00(दस रू0प्रतिवर्ग फीट) व्यवसायिक की दर से निर्धारित किया जायेगा। अधिशासी अधिकारी/मूल्यांकन अधिकारी द्वारा धारा 143 न0पा0अधिनियम 1916 के तहत नोटिस भवन स्वामी को जारी किया जायेगा। उपरोक्त नोटिस के अधीन अपील अध्यक्ष न0पा0परि0 अल्मोड़ा के समक्ष प्रस्तुत करेगा। अध्यक्ष नगर पालिका परिषद अल्मोड़ा के द्वारा अपील निस्तारण के उपरान्त निर्धारित मूल्यांकन का 50 प्रतिशत शुल्क जमा करना होगा, उसके उपरान्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद अल्मोड़ा द्वारा भवन मानचित्र क्रय–विक्रय हेतु प्रमाणित करेगा। भवन मानचित्र पूर्व में नगर पालिका परिषद अल्मोड़ा के शर्तो के तहत स्वीकृत होना भी आवश्यक है।

शास्ति

नगर पालिका परिषद अल्मोड़ा नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 299(1) के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुवे नगर पालिका परिषद अल्मोड़ा एतद् द्वारा निर्देश देती है कि इस उपविधि के किसी भी उल्लघन पर रू0 5000.00(पाँच हजार रू0) तक दण्ड़ किया जा सकेगा यदि उल्लधन जारी रहा तो अतिरिक्त दण्ड़ रू0 100.00(एक सौ) प्रतिदिन तक हो सकता है, जो प्रथम दोष/निर्णय की तिथि से जब तक अपराधी अपराध करता है तो दण्ड़ किया जायेगा।

अशोक कुमार वर्मा,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद्, अल्मोड़ा।

प्रकाश चन्द्र जोशी,
अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद्, अल्मोड़ा।

कार्यालय नगर पालिका परिषद्, मुनिकीरेती–ढालवाला

सार्वजनिक सूचना

07 नवम्बर, 2013 ई0

पत्रांक 359/सॉलिड वेस्ट–उ0/2014–2015–नगर पालिका परिषद् मुनिकीरेती–ढालवाला टिहरी गढ़वाल सीमान्तर्गत पर्यावरण (संरक्षण) एक्ट 1986 के अन्तर्गत प्लास्टिक कचरा अवशेष (प्रबन्धन एवं व्यवहार) नियमावली–2011 के नियम 4 (बी) के अन्तर्गत दी गई शक्तियों के अधीन नगर पालिका परिषद्, मुनिकीरेती–ढालवाला (टिहरी गढ़वाल) सीमान्तर्गत प्लास्टिक अवशेष (कचरा) प्रबन्धन एवं व्यवहार आदर्श उपविधि–2014 बनायी जाती हैं जो जनसामन्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला हो, उनसे आपत्ति एवं सुझाव प्राप्ति हेतु प्रकाशित की जा रही है।

अतः समाचार पत्र में उपविधि के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर लिखित सुझाव एवं आपत्तियाँ अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, मुनिकीरेती–ढालवाला टिहरी गढ़वाल को प्रेषित की जा सकेगी। वादमियाद प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

प्लास्टिक अवशेष (कचरा) प्रबन्धन एवं व्यवहार आदर्श उप विधि–2014

1– **उपनियम**

(1) संक्षिप्त आगम एवं उत्पत्ति – पर्यावरण (संरक्षण) एक्ट 1986 के अन्तर्गत प्लास्टिक कचरा अवशेष (प्रबन्धन एवं व्यवहार)नियमावली–2011 के नियम 4 (बी) के अन्तर्गत दी गई शक्तियों के अधीन नगर पालिका परिषद्, मुनिकीरेती–ढालवाला (टिहरी गढ़वाल) इस एक्ट के आधार पर सक्षम अधिकारी के तौर पर प्लास्टिक कचरे का प्रयोग, एकत्रीकरण, छटाई, उठान, निस्तारण व पुर्नचक्रण के लिए उपयुक्त विधायी शक्तियों का निर्वहन करेगी। उपयुक्त के अन्तर्गत नियमावली निम्न प्रकार होगी।

2– **परिभाषा :**

(1) **"कैरी बैग"** का अर्थ प्लास्टिक की थैलियां जिन्हें उपयोग सामग्री के लिए प्रयोग में लाया जाता हो जिसमें स्वतः ले जाने योग्य लक्षण हों सहित

(2) **"कलरेन्टस्"** वे रंगने वाले पदार्थ जो भारतीय प्रामणिकता आई0एस0 : 9833:1981 के अनुसार निर्धारित हों।

(3) **"एकत्रीकरण"** का अर्थ प्लास्टिक कचरे को स्थायी एकत्रीकरण स्थल से अथवा अन्य किसी स्थान से उठाना व हटाना

(4) **"एकत्रीकरण स्थल"** का अर्थ वह निर्धारित स्थान, शेड, किशोक या ढांचा जो म्यूनिसिपल या सरकारी जमीन,अथवा सार्वजनिक स्थान जहां प्लास्टिक कचरा प्राप्त करना व हटाना शामिल है।

(5) **"सामग्री"** का अर्थ शाक सब्जियां, फल, दवाईयां, खाद्य सामग्री तथा इसी प्रकार की वस्तुएं साथ ही अन्य किसी प्रकार की वस्तुएं।

(6) **"कम्पोस्ट योग्य प्लास्टिक "** का अर्थ यह है कि प्लास्टिक जो जैविक प्रक्रिया से कम्पोस्टिंग के दौरान Co_2 (कार्बन डाईआक्साइड) पानी, जैविक पदार्थो तथा वायोमास के सर्म्पक के दौरान अन्य सात कम्पोस्ट योग्य पदार्थो के भांति अनुकूल रहता है तथा कोई दृश्यमान अन्तर दर्शाने वाले तथा रसायनिक अवशेष नही छोडता है।

(7) **"पृथकीकरण"** का अर्थ यह है कि पदार्थो को छोटे–छोटे हिस्सों में बांटने की प्रक्रिया।

(8) **"पर्यावरण "** का अर्थ उन भौतिक व परिस्थितिकाय से सम्बन्धित हो जो जीवों के जीवन के विकास को प्रभावित करता है

(9) **"उत्पादक की विस्तारित जिम्मेदारी"(EPR)** का अर्थ है कि प्लास्टिक कैरी बैग तथा बहुस्तरीय प्लास्टिक थैलियों की पैकिंग सामग्री के उत्पादक या निर्माता की वह ज़िम्मेदारी जिसके अन्तर्गत निर्मित प्लास्टिक सामग्री के समाप्त होने तक सामग्री का पर्यावरणीय प्रबन्धक सुनिश्चित हो। यह जिम्मेदारी उन सभी निर्माताओं पर भी लागू होती है जो इस प्रकार की पैकिंग सामग्री का उपयोग करते हैं।

(10) **"खाद्य सामग्री"** का अर्थ वह सामग्री जो द्रव्य ठोस व ठोस जैसी रूपों में तुरन्त खाने योग्य पदार्थ, फास्ट फूड, प्रसंस्कृत या बने हुए भोजन के रूप मे हो।

(11) **"निर्माता"** का अर्थ है वह व्यक्ति या संस्था जो प्लास्टिक कैरी बैग,बहुस्तरीय पैकिंग सामग्री, पाऊच तथा या इसी प्रकार की सामग्री का पैकिंग के लिए उत्पादन करने में संलग्न हों।

(12) **"माइक्रोन"** का अर्थ है प्लास्टिक फिल्म के मापन की इकाई जो एक मिलीमीटर के दशवें हिस्से के बराबर हो।

(13) **"बहुस्तरीय प्लास्टिक"** का अर्थ है वह सामग्री जो पैकिंग हेतु कई स्तरों जैसे, कागज, गत्ते, पालीमर सामग्री या अल्युनियम फाइल की परतयुक्त या सम्मिलित रूप में हो।

(14) **"पिगमेन्ट"** का अर्थ है एक रंगयुक्त पदार्थ अथवा तत्व है।

(15) **"प्लास्टिक "** का अर्थ वह पदार्थ जिसमें उच्च पालीमर के तत्व विद्यमान हों तथा जो उसमें प्रसंस्करण प्रक्रिया में अन्तिम सामग्री के रूप में अपने स्वाभाविक रूप में रहे।

(16) **"प्लास्टिक कचरा "** का अर्थ कोई प्लास्टिक कचरा जो कैरी बैग, पाउच या बहुस्तरीय पैकिंग सामग्री के रूप में उपयोग किया जाए व जिसे उपयोग के उपरान्त अथवा उनकी जीवनकाल के उपरान्त फेंक दिया जाए।

(17) **"प्रसंस्करण"** का अर्थ कोई वैज्ञानिक प्रक्रिया जिसमें प्लास्टिक कचरे को उपचारित कर पुर्न उपयोग हेतु बनाया जा सके।

(18) **"पुनर्चक्रीकरण"** का अर्थ पृथकीकरण अजैविक प्लास्टिक कचरे को परिवर्तन प्रक्रिया के आधार पर नये उत्पाद के कच्चे माल के रूप में तैयार किया जाए, जो अपने मौलिक रूप मे हो अथवा नही।

(19) **"पुनर्चक्रीकृत बैग"** का अर्थ वह बैग जो उपयोग किये गये पालीमर या पूर्ववत प्रसंस्किृत प्लास्टिक से बना हो।

(20) **"पृथकीकरण "** का अर्थ वह म्यूनिसिपल ठोस कचरा जो जैविक व अजैविक कचरे, खतरनाक चिकित्सकीय, सूक्ष्म कचरा, निर्माण व तोडने से निकलने वाले कचरे, बाग व बगीचों का कचरा, तथा सभी तरह के कचरे।

(21) **"ढुलान"** का अर्थ म्यूनिसिपल कचरे का एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना।

(22) **"वर्जिन प्लास्टिक"** का अर्थ वह प्लास्टिक जो पूर्व में उपयोग मे नही लाई गयी हो अथवा किसी कचरे या अवशेष के साथ मिलाया न गया हो।

(23) **"अवशिष्ठ प्रबन्धन"** का अर्थ वैज्ञानिक आधार पर कम करना, दुबारा उपयोग, पुनर्चक्रीयण, कम्पोस्टिंग या प्लास्टिक कचरे का निस्तारण।

(24) **"वेस्ट पिकर"** का अर्थ उन लोगों से है जो अकेले या समुदाय में रहकर प्लास्टिक अवशिष्ठ का एकत्रीकरण करते हैं।

3– कैरी बैग तथा छोटे पाऊच आदि के स्टाक, वितरण, विक्रय हेतु निम्न शर्तो का पालन किया जाना आवश्यक :

(a) कैरी बैग प्राकृत्तिक रंग (रंग रहित) जिसमें कोई रंग तत्व न हो या भारतीय प्रमाणिकता : आईएस : 9833:1981 के अनुसार वैधानिक रंग तत्वां द्वारा निर्मित हो।

(b) किसी भी व्यक्ति द्वारा ऐसे कैरी बैग जो पुर्नचक्रित प्लास्टिक या कम्पोस्ट किये जाने वाले प्लास्टिक से बने हों, को खाद्य पदार्थों के स्टोर लाने ले जाने, विवरण या पैकिंग के लिए प्रयोग में लाया जाए।

(ब) किसी भी व्यक्ति द्वारा ऐसे किसी कैरी बैग का उत्पादन, स्टोर वितरण या विक्री नही किया जा सकता है। जो 40 माइक्रोन की मोटाई से कम हो या वर्जिन पुनर्चक्रीकरण या कम्पोस्ट योग्य प्लास्टिक से न बना हो।

(क) कम्पोस्ट योग्य प्लास्टिक वह जो भारतीय प्रमाणिकता आई0एस0/आई0एस0ओ0 17088: जो समय–समय पर संशोधन के आधार पर कम्पोस्ट योग्य प्लास्टिक के लिए निर्धारित किये गये हैं।

4– प्लास्टिक कचरा प्रबन्धन निम्नानुसार हो :

(a) प्लास्टिक कचरे का पुनर्चक्रणीयण, पुनः प्राप्त करना, निस्तारण केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर बनाये गये नियमों, प्रावधानों व प्रमाणिकता के अनुसार किया जाना होगा।

(b) नगर पालिका परिषद्, मुनिकीरेती–ढालवाला (टिहरी गढ़वाल) कचरा प्रबन्धन के संचालन तथा समन्वयन के लिए निम्न सम्बद्व गतिविधियां संचालित करेगें :

(i) प्लास्टिक कचरे का सुरक्षित एकत्रीकरण, स्टोर, पृथकीकरण, ढुलान, प्रसंस्करण, तथा निस्तारण।

(ii) यह सुनिश्चित करना कि प्रसंस्करण के दौरान पर्यावरण को किसी भी प्रकार का नुकसान न हो।

(iii) यह सुनिश्चित करना कि यदि सम्भव हो तो प्लास्टिक कचरे के एकत्रीकरण केन्द्र के निर्माण में निर्माता को भागीदार बनाना।

(iv) यह सुनिश्चित करना कि प्लास्टिक कचरे को पुनर्चक्रण करने वाली संस्थाओं के साथ निरन्तरता स्थापित करना।

(v) जागृति कार्यक्रमों से इससे जुडे सभी सम्बद्ध इकाईयों को उनकी जिम्मेदारियों का ज्ञान बढाना।

(vi) कचरा प्रबन्धन में जुडी सभी संस्थाओं या समूहों (कूडा बीनने वालों सहित) को जोडना।

(vii) यह सुनिश्चित करना कि प्लास्टिक को खुले में न जलाया जाना।

(viii) जबकि एकत्रीकरण व्यवस्था की जिम्मेदारी म्यूनिसपेलिटी की है तथा इस उद्देश्य के लिए वह प्लास्टिक कैरी बैग, बहु स्तरीय प्लास्टिक पाऊच या थैलियां, पलास्टिक बोतलें, प्लास्टिक तिरपाल, शीतल पेय वस्तुए आदि के

निर्माताओं या ब्रांड मालिक जो इनका उपयोग करते हैं की सहायता ले सकती है।

(i) यह म्यूनिस्पेलिटी प्लास्टिक कचरे के विसंक्रमण के लिए श्रीनगर विसंक्रमण व परतीकरण इकाई जो उत्तराखण्ड टूरिज्म डेवेलपमेन्ट बोर्ड द्वारा संचलित है तथा गढवाल रेंज के शहरी स्थानिक संस्थाओं के विकास के लिए है तथा प्लास्टिक प्रसंस्करण व पुनर्चक्रणीय इकाई काठगोदाम जो झील विकास प्रधिकरण नैनीताल द्वारा कुमांऊ क्षेत्र के शहरी स्थानिक संस्थाओं हेतु चलाई जा रही है। के साथ समन्वय करेगी।

5– **विपणन या चिन्हीकरण हेतु प्रयास :**

(a) प्रत्येक प्लास्टिक कैरी बैग का बहुस्तरीय पाऊच या थैली में निम्न सूचना अंग्रेजी या स्थानीय भाषा में प्रिंट करना आवश्यक होगा।

(i) निर्माता का नाम व रजिस्ट्रेशन संस्था तथा कैरी बैग की स्थिति में उसकी मोटाई।

(ii) बहुस्तरीय प्लास्टिक पाऊच या थैली में निर्माता का नाम व रजिस्ट्रेशन संख्या।

(iii) सभी पुनर्चक्रीकृत कैरी बैग में " पुनर्चक्रीकृत" लिखा हुआ या चिन्हित हो जो भारतीय प्रामाणिकता : आई0एस0: 14534:1998. के अनुसार निर्मित हो।

(iv) सभी वे कैरी बैग जो कम्पोस्ट योग्य प्लास्टिक हों में "कम्पोस्ट योग्य" लिखा हुआ या चिन्हित हो तथा भारतीय प्रामाणिकता के अनुसार निर्मित हो।

(v) सभी खुदरा व्यापारियों को यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि सभी प्लास्टिक कैरी बैग तथा बहुस्तरीय पाऊच या थैलियां जो उनके द्वारा बेचे जाएं, में नियमानुसार चिर्निहित हों।

6– इसके अतिरिक्त कोई भी कैरी बैग खुदरा व्यापारियों द्वारा क्रेतओं को निःशुल्क उपलब्ध नही होना चाहिए। कैरी बैग का न्यूनतम मूल्य कैरी बैग की गुणवत्ता व आकार के अनुसार हों जो उसके निर्माण सामग्री तथा कचरा प्रबन्धन की लागत भी शामिल हो। जिससे प्लास्टिक कचरा संवर्धन में कमी करने को बढावा दिया जा सके। कैरी बैग की कीमत जो क्रेताओं से ली जाए ` 1/– से कम न हो।

7– इसके अतिरिक्त म्यूनिसपेलिटी समय–समय पर जब भी आवश्यकता हो जाँच कर सकेगी।

8– यू0पी0 प्लास्टिक तथा अन्य अजैविक कूडे (उपयोग का विधान व निस्तारण) एक्ट 2000 के अनुसार किसी भी व्यक्ति द्वारा फेंके गये अजैविक बैग या डिब्बों के द्वारा निम्न स्थितियाँ पैदा हो सकती हैं :

(i) नालियों व सीवर लाइन व्यवस्था में व्यवधान पैदा होना

(ii) नालियों व सीवर के उदभवों की निरन्तरता व निस्तारण व उपचार में व्यवधान उत्पन्न होना।

(iii) जन स्वास्थ्य के लिए खतरनाक व लोक कन्टक का कारण हो सकता है।

(iv) म्यूनिसपेलिटी क्षेत्र के अन्तर्गत स्थानीय सौन्दृय के लिए खतरा या नुकसान का कारण बन सकता है।

(v) सभी खुदरा व्यापारियों को यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि सभी प्लास्टिक कैरी बैग तथा बहुस्तरीय पाऊच या थैलियां जो उनके द्वारा बेचे जाएं, में नियमानुसार चिन्हित हों।

उक्त सभी खतरों के लिए एक्ट नियमावली के प्रावधान संख्या 8 के अनुसार दण्डनीय अपराध है। उसी के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

यह उप–नियमावली नगर पालिका परिषद्, मुनिकीरेती–ढालवाला, टिहरी गढ़वाल (उत्तराखण्ड) के मा0 नगर पालिका बोर्ड की सहमति पर बोर्ड की बैठक दिनांक 22–09–2014 को प्रस्ताव संख्या– 4 के द्वारा पारित की गयी।

शिवमूर्ति कण्डवाल,
अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद्,
मुनिकीरेती–ढालवाला,
(टिहरी गढ़वाल)।

बी0 पी0 भट्ट,
नगर पालिका परिषद्,
मुनिकीरेती–ढालवाला,
(टिहरी गढ़वाल)।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 22 हिन्दी गजट/263–भाग 8–2015 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।